



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112020-223026
CG-DL-E-10112020-223026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2020/ कार्तिक 19, 1942

No. 573]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020/KARTIKA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सं. 35/2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 697(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “बूवेन फैब्रिक (जिसमें फलैक्स अव्यव की मात्रा 50% से अधिक हो)” जिसे सामान्यतया “फलैक्स फैब्रिक” (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के नाम से जाना जाता है जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 5309 के अंतर्गत आता है के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/26/2019-डीजीटीआर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/26/2019-

डीजीटीआर, दिनांक 17 अगस्त, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

- (i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया था जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गयी;
- (ii) इस प्रकार के आयात से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है;
- (iii) विषयगत देशों से इस प्रश्रुत उत्पाद के आयात से संबंधित डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन घनात्मक रही है;
- (iv) यदि इस प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो कीमतों में कमी होती रहेगी क्योंकि विषयगत देशों के उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता काफी अधिक है और यदि इस प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो आयात, जिसके कारण यहां भरमार हो रही है और एडी जैसे उपायों के बावजूद यह हानिकारक सिद्ध हो रहा है, के बढ़ जाने की संभावना है, इस प्रकार यदि प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योगों का कामकाज खराब हो सकता है।

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित इस विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

शुल्क सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	"फलैक्स या लाइनेन फैब्रिक, जिसमें फलैक्स का अव्यव 50% से अधिक हो"	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	कोई भी	2.36	प्रति मीटर	अमेरिकी डॉलर
2	5309	"फलैक्स या लाइनेन फैब्रिक, जिसमें फलैक्स का अव्यव 50% से अधिक हो"	हांगकांग और प्रतिपाटन शुल्क लगने वाले देश से भिन्न कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	2.36	प्रति मीटर	अमेरिकी डॉलर

3	5309	“फलैक्स या लाइनेन फैब्रिक, जिसमें फलैक्स का अव्यव 50% से अधिक हो”	हांगकांग	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1.14	प्रति मीटर	अमेरिकी डॉलर
4	5309	“फलैक्स या लाइनेन फैब्रिक, जिसमें फलैक्स का अव्यव 50% से अधिक हो”	चीन और प्रतिपाटन शुल्क लगने वाले देश से भिन्न कोई भी	हांगकांग	कोई भी	कोई भी	1.14	प्रति मीटर	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/62/2009—टीआरयू (पार्ट-II)]

जे.एस. कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

No. 35/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 697(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/26/2019-DGTR dated the 23rd December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Woven Fabric (having more than 50% Flax content)” commonly known as “Flax Fabric” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 5309 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR and Hong Kong (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 39/2015-Customs (ADD), dated the 12th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 624(E), dated the 12th August, 2015;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/26/2019-DGTR, dated the 17th August, 2020, in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- the subject goods exported from the subject countries are at prices below their normal value, thus resulting in dumping.
- imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.
- dumping margin and injury margin are positive in respect of imports of the product under consideration from the subject countries.

- (iv) in event of cessation of anti-dumping duty undercutting may continue as the producers/exporters in the subject countries are holding significant capacities and the imports which are dumped and injurious despite existence of AD measure, are likely to increase in the event of cessation of anti-dumping duty. Performance of the domestic industry is therefore likely to deteriorate in the event of cessation of anti-dumping duty

and has recommended imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 39/2015-Customs (ADD), dated the 12th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 624(E), dated the 12th August, 2015, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6) and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7) and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S.N	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%"	China PR	Any	Any	Any	2.36	Per meter	US\$
2	5309	Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%"	Any other than Hong Kong and country attracting Anti-Dumping duty	China PR	Any	Any	2.36	Per meter	US\$
3	5309	Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%"	Hong Kong	Any	Any	Any	1.14	Per meter	US\$
4	5309	Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%"	Any other than China and country attracting Anti-Dumping duty	Hong Kong	Any	Any	1.14	Per meter	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/62/2009-TRU (Pt. II)]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.